714
14.X.14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (रीवा सर्किट कोर्ट)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

R-3805-III/14

1— चन्द्रावती चतुर्वेदी पुत्री रामपियारे राम पत्नी बी0एन0 चतुर्वेदी सा0 जमुआ, थाना बैढ़न, तहसील सिगरौली (म0प्र0)

2— रामअशोक शर्मा पिता सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा ग्राम जमुआ, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0) ————आवेदकगण

बनाम

1— श्रीमती तनूजा सिंह पत्नी दिलीप कुमार सिह, निवासी ग्राम जमुआ, थाना बैढ़न, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

2— म0प्र0 शासन ————अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न, तहसील सिगरौली म0प्र0 के प्रकरण क0—22/अ—12/13—14 में पारित आदेश दिनांक 14/08/14 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

श्री .... एड. के द्वारा आज दिनांक 14.X.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर 14.X.14 सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3490 .... आज .... 29.10.14 को प्राप्त

मान्यवर,

.... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण के तथ्य :—

यह कि अनावेदिका क0—1 की ओर से एक आवेदन पत्र तहसीलदार सिगरौली/राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढ़न, जिला सिगरौली के यहां अंतर्गत धारा 129 सीमांकन वावत् इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी नं0—14/2 रकवा 0.202 हे0 मौजा जमुआ, तहसील सिगरौली की भूमि का सीमांकन वावत् इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की भूमि का पूर्व में नम्बर—14/1क जुज रकवा 0.202 हे0 था जिसे श्रीमान् तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.3805-तीन/15..... जिला सिंगरौली.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	मेरे द्वारा प्रकरण में निगराकारगण के विद्वान अधिवक्ता के कायमी पर तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। तर्क में निगरानी मेमो के बिन्दु दोहराए गए जिनका यह पुनः अंकन नहीं किया जा रहा किन्तु जिन्हें विचार में लिया जा रहा है। प्रकरण की विषयवस्तु मुख्य रूप से इस प्रकार है कि मूल स.न. 14, मौजा जमुआ, तह. सिंगरौली के भूमिस्वामी द्वारा इस स.न. के बटांक 14/3 एवं 14/4 निगराकारगण को तथा 14/2 गैरनिगराकार-1 को बेचे गए, तथा मूल भूखण्ड के बीचों-बीच उत्तर-दक्षिण में एक रास्ता छोड़ा गया। बाद में भूखण्डों/बटांकों एवं रास्ते की चतुसीमाओं को लेकर अस्पष्टता एवं विवाद हुआ। गैरनिग.-1 के भूखण्ड 14/2 का नक्शा तरमीम तहसीलदार द्वारा प्र.क्र. 163/A3/12-13 के आदेश दि. 30.11.13 से स्वीकृत किया गया। इसके विरुद्ध SDO	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के समक्ष अपीलीय प्र.क्र. 5-अपील/13-14 दायर हुआ। निग. 1 की ओर से तहसीलदार के समक्ष दि. 20.4.14 को की गई आपत्ती में इस अपीलीय प्रकरण में दि. 6.5.14 को अगली पेशी नियत होना लिखा है।

~~तहसीलदार~~ राजस्व निरीक्षक के आक्षेपित आदेश दि. 14-8-14 से संबंधित प्रकरण क्र. 22/अ12/13-14 गैरनिग.-1 के मूखण्ड क्र. 14/2 की स्वीकृत तरमीम के आधार पर सीमांकन किए जाने से संबंधित है। (उपरोक्त आपत्ती दि. 20.4.14 इसी सीमांकन प्रकरण में ~~तहसीलदार~~ राजस्व निरीक्षक को प्राप्त हुई थी)। आक्षेपित आदेश दि 14-8-14 से ~~तहसीलदार~~ राजस्व निरीक्षक ने बटोक 14/2 का सीमांकन यह लिखते हुए प्रमाणित किया है कि अपीलीय प्रकरण में कोई स्थगनादेश जारी नहीं है तथा पक्षकारगण एवं तहसीलदार सीमांकन कार्यवाही में मोके पर उपस्थित थे।

तर्क के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा तरमीम के विरुद्ध के अपीलीय प्रकरण की अद्यतन स्थिति अथवा उसमें पारित किसी आदेश के संबंध में कोई प्रकाश

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3805-III/14 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं डाला गया। मेरा मानना है कि प्रकरण में सभी बटांकों एवं बीच के रास्ते की चतुर्सीमाओं को लेकर अस्पष्टता एवं विवाद की स्थिति को स्थाई रूप से, सभी पक्षकारों को साथ लेते हुए, समाप्त किया जाना महत्वपूर्ण है। यह करने के लिये विक्रय पत्रों एवं पूर्व की कार्यवाहियों और अभिलेखों का सन्दर्भ लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यह सब, या तो SDO द्वारा विषयांकित अपीलीय प्रकरण में, या उसके रिव्यू में, या उसके विरुद्ध की अपील में, या तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय के अन्य मूल प्रकरण में, मूल स.न. 14 के सभी बटांकों एवं विषयांकित रास्ते को एक साथ विचार में लेकर, किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अस्पष्टता एवं विवाद की स्थिति समाप्त कर दिये जाने के बाद ही एवं उसके अनुसार ही बटांक 14/2 के सीमांकन को प्रमाणित करना उपयुक्त होगा।	

[कृ. प. उ.

R. 3805/III/15 सिरोही

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः मैं तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दि 14.8.14 को एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ। साथ ही, बटांक 14/2 के तरमीम संबंधी आदेश दि. 30.11.13 को SDO के समक्ष के अपील प्र.क. 5/अपील/13-14 के गुणदोष पर विधिवत अन्तिम निराकरण तक के लिए प्रभावहीन करता हूँ, यदि इस अपीलीय प्रकरण में अन्तिम आदेश अभी तक नहीं पारित हुआ हो तो। इसके अतिरिक्त संबंधित SDO को यह भी निर्देश देता हूँ कि यदि उन्होंने इस अपीलीय प्रकरण में अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं पारित किया हो तो वे उसे उन्हें रा.मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 4 माह के भीतर, ऊपर (इस आदेश में पूर्व में) लिखी जा चुकी बातों को ध्यान में रखते हुए, पारित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश एवं निर्देशों के साथ यह प्रकरण इसी प्रक्रम पर रा.मं. से समाप्त किया जाता है। पक्षकारगण, संबंधित SDO एवं तहसीलदार सूचित हों। दा.द.हो।	

(सदस्य)